वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110001

(www.csir.res.in)

विज्ञापन सं. आर एंड ए/01/2025

https://recruitment.csir.res.in अथवा https://www.csir.res.in/careeropportunities/recruitment पर 'विधि सलाहकार भर्ती -2025' लिंक हेतु पहुंचें।

ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण आरंभ होने की तारीख: 03.06.2025 (सुबह 10:00 बजे)

पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख: 02.07.2025 (शाम 05:00 बजे)

सहायता डेस्क: ra.helpdesk@csir.res.in

सीएसआईआर के विषय में

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है। यह देश का प्रमुख वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है और देश भर में इसकी 37 प्रयोगशालाएँ/संस्थान हैं। देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनशक्ति को विकसित करने और उसका पोषण करने के अपने अधिदेश के अनुसरण में सीएसआईआर युवा और गतिशील ज्ञान कार्यबल के साथ एक परिवर्तित कार्य संस्कृति की परिकल्पना करता है जो सीएसआईआर द्वारा शुरू की गई विविध पहलों को सुगम बनाएगी और सहयोग प्रदान करेगी। सीएसआईआर और इसकी विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों के विषय में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://www.csir.res.in देखें।

सीएसआईआर सीधी भर्ती के आधार पर उपयुक्त रूप से योग्य, गतिशील, परिणामोन्मुखी और समर्पित भारतीय नागरिकों से निम्नांकित रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

पदनाम	**पदों की संख्या**	**वेतन स्तर**	**न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर)**
विधि सलाहकार	01 अनारक्षित (प्रशासनिक समूह- 'क' एकाकी श्रेणी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल- 12 (रु.78800 - 209200/-)	न्यूनतम 32 वर्ष अधिकतम 50 वर्ष

आवश्यक अर्हता:

एलएलएम के साथ सेवा मामलों को संभालने का 5 वर्ष का अनुभव; अथवा 5 वर्ष की एकीकृत एलएलबी/एलएलबी के साथ सेवा मामलों को संभालने का 8 वर्ष का अनुभव।

वांछित:

- ✓ सरकारी नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं और उनके अनुप्रयोग का ज्ञान;
- ✓ सेवा मामलों, औद्योगिक एवं श्रम कानूनों का विशेष ज्ञान;
- ✓ सिविल कोर्ट, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण और मध्यस्थता में मुकदमा लड़ने का अनुभव; समझौता ज्ञापन/करार आदि का मसौदा तैयार करने का ज्ञान इत्यादि।

क. चयन प्रक्रिया:

विधि सलाहकार के पद पर चयन, विधि सलाहकार के पद पर भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 2025 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर साक्षात्कार के आधार पर होगा। निर्धारित आवश्यक अर्हताएं पूरी करने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों पर विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा। स्क्रीनिंग समिति साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी।

ख. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अनुसार विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता अथवा विशिष्ट पदों के लिए अभिज्ञात किए गए अनुसार, विधि सलाहकार का पद बेंचमार्क दिव्यांगताओं की निम्नांकित श्रेणियों के लिए उपयुक्त है:

- श्रेणी (क) - बी (दृष्टिविहीन), एलवी (अल्प दृष्टि);
- श्रेणी (ख) - एचएच (सुनने में कठिनाई);
- श्रेणी (ग) - ओएल (एक पैर), ओए (एक हाथ), बीए (दोनों हाथ), बीएल (दोनों पैर), ओएएल (एक हाथ एक पैर); बीएलओए (दोनों पैर और एक हाथ), बीएलए (दोनों पैर और हाथ); सीपी (सेरेब्रल पाल्सी); एलसी (कुष्ठ रोग उपचार); डीडब्ल्यू (बौनापन); एएवी (एसिड अटैक पीड़ित);
- श्रेणी (घ) - एसएलडी (विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताएं);
- श्रेणी (ङ) - एमडी (उपर्युक्त क से ख तक की अनेक दिव्यांगताएं)

ग. लाभ :-

1. इस पद पर वेतन और सामान्य भत्ते अर्थात महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि मिलते हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं और सीएसआईआर कर्मचारियों के पोस्टिंग के स्थान पर लागू किए गए के अनुसार हैं। परिषद के कर्मचारी सीएसआईआर आवास आवंटन नियमावली के अनुसार आवास के भी हकदार हैं, जो उपलब्धता के अधीन है। यदि परिषद अथवा सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य लाभ जैसे कि अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तथा बच्चों की शिक्षा भत्ते आदि भी सीएसआईआर नियमावली/भारत सरकार की नियमावली के अनुसार उपलब्ध हैं, जो परिषद कर्मचारियों पर लागू हैं।

3. चयनित अभ्यर्थी को "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" अथवा सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए परिभाषित अंशदान के आधार पर विद्यमान पेंशन प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

4. परिषद के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965,

भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मौलिक और पूरक नियम और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे अन्य नियम एवं आदेश परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

घ. आयु सीमा में छूट :-

1. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को आयु में छूट(पीडब्ल्यूबीडी): भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष (अधिकतम आयु 56 वर्ष तक) की छूट दी जाएगी, जैसे कि क. दृष्टिविहीनता और अल्प दृष्टि; ख. बहरापन और कम सुनने की क्षमता; ग. मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशियों की दुर्बलता सहित चलने-फिरने में अक्षमता; घ. ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग; ङ. बहरापन- दृष्टिविहीनता सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में एकाधिक दिव्यांगताएं। छूट तभी लागू होगी जब शारीरिक दिव्यांगता का स्तर 40% अथवा उससे अधिक हो। अस्थायी दिव्यांगता वाले व्यक्ति आयु में छूट/शुल्क माफी के हकदार नहीं हैं।
2. सीएसआईआर कर्मचारियों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

ङ. सामान्य शर्तें

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. निर्धारित शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई हो।
3. आयु सीमा/अनुभव/अर्हता निर्धारित करने की तारीख ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 02.07.2025 होगी। किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां कहीं भी निर्धारित हो, उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की तारीख के बाद गिनी जाएगी।
4. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, साक्षात्कार आयोजित करने आदि और इस पद को न भरने से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली कोई भी पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, समकक्ष अर्हता के रूप में अर्हता हेतु दावे के मामले में, उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. दर्शाई गई रिक्ति अनंतिम है। यह विज्ञापन जरूरी नहीं कि वास्तव में किए जा रहे चयन के समान हो। यह चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी निश्चित समय पर प्रचलित सीएसआईआर/भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन है।
6. उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख तक उनके पास पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव हो। न्यूनतम आवश्यक अर्हता पूरी करने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित जॉच समिति साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने हेतु अपने स्वयं के मानदंड अपना सकती है। आवेदक अपने आवेदन में उल्लिखित अर्हता के विषय में समस्त प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें, जो उचित दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित हो। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी पूर्ण एवं सटीक हों।
7. अपेक्षित कार्य क्षेत्र/परिधि में अनुभव की अवधि की गणना पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी।

8. नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन, वेतन प्रमाण पत्र और अनुभव के रूप में दावा की गई अवधि हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि स्पष्ट रूप से बताई जाए, जिसमें उम्मीदवार द्वारा दावा किए गए विभिन्न संगठनों/संस्थानों में कार्यग्रहण तारीख और कार्यभारमुक्त होने की तारीख दर्शाई गई हो। इसके अतिरिक्त, अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम हो।

9. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे दस्तावेज़ सत्यापन की तारीख यथासमय सूचित की जाएगी। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों को विज्ञापन हेतु अपने आवेदन के विषय में अपने नियोक्ता को सूचित करना चाहिए।

10. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में दी गई जानकारी के बीच कोई विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को पद (पदों) के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

11. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो उसकी अंग्रेजी में विधिवत सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

12. सरकार/सीएसआईआर ऐसे कार्यबल के निर्माण हेतु प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करे अत: महिला उम्मीदवारों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

13. भारत सरकार/सीएसआईआर के अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों को आवेदन किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

14. प्रत्येक उम्मीदवार से पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक ही पद के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी के साथ कई ऑनलाइन आवेदन जमा करता है, तो केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।

15. किसी भी रूप में प्रचार करना और/अथवा किसी भी प्रकार का राजनीतिक अथवा अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

16. चयनित उम्मीदवार एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

17. बिना विधिवत भरे या बिना अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के अपलोड किए गए आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

18. उम्मीदवारों की जॉच (स्क्रीनिंग) और चयन केवल ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है अथवा उसने आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत की है; चयन के बाद भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और सीएसआईआर ऐसी गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अत: उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारियॉ सटीक और सही हों।

19. यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में निर्दिष्ट अर्हता के बराबर अर्हता का दावा करता है तो उसे एक आदेश/अधिसूचना अथवा पत्र प्रदान करना होगा जिसमें उस प्राधिकरण (संख्या और दिनांक सहित) का उल्लेख हो जो इस समतुल्यता को मान्यता देता है। ऐसे दस्तावेज प्रदान न करने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अर्हता की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में

सीएसआईआर के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. नियुक्ति प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा यदि आवश्यक हो तो इस पद को न भरने का निर्णय भी ले सकता है।

21. साक्षात्कार की तारीख, जाँच/चयन समितियों की सिफारिशें, उपयोग किए गए मानदंड, तथा इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य अपडेट, नोटिस, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र केवल सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी; अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

22. विधि सलाहकार की कैरियर प्रगति सीएसआईआर में प्रत्येक 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर डीपीसी की सिफारिश के आधार पर योग्यता के आधार पर अगले उच्चतर वेतन स्तर पर पदोन्नति के तहत संचालित होगी, जिसमें उम्मीदवार को व्यक्तिगत चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

च. आवेदन कैसे करें:

क. योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट https://www.csir.res.in/career-opportunities/recruitment पर जाकर अथवा सीएसआईआर वेबसाइट https://recruitment.csir.res.in पर उपलब्ध लिंक "विधि सलाहकार भर्ती -2025" पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

ख. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन आवेदन कैसे करें" अनुदेश, "शुल्क भुगतान प्रक्रिया' और 'आवेदन प्रतिकृति' देखें।

ग. आवेदन तीन अलग-अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाना है, जो निम्नांकित है: -

i. पंजीकरण (ऑनलाइन)

ii. शुल्क जमा करना (ऑनलाइन), यदि लागू हो

iii. आवेदन जमा करना (ऑनलाइन)

घ. यदि उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो वह ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनाए और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखे। आवेदन के उपर्युक्त चरणों की तारीखें इस प्रकार हैं: -

- ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण/शुल्क जमा करने की आरंभिक तारीख: 03.06.2025 (सुबह 10:00 बजे)
- ऑनलाइन शुल्क एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख: 02.07.2025 (शाम 05:00 बजे)

ङ. उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'शुल्क भुगतान प्रक्रिया' के अनुसार 500/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग (स्थाई दिव्यांगता)/महिला/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।** निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

च. उम्मीदवार को अपना पासपोर्ट आकार का स्कैन किया हुआ नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर प्रत्येक (अधिकतम आकार 50 केबी) तथा संबंधित प्रमाण पत्र (अधिकतम आकार 5 एमबी) ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।

छ. एक बार आवेदन करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा तथा भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

ज. सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए/सीपीआई ग्रेड आदि प्रदान करने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के मामले में उम्मीदवारों को अपने बोर्ड/विश्वविद्यालयों/संस्थान के अनुसार सूत्र के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करना अपेक्षित है। बोर्ड/ विश्वविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा जारी सीजीपीए/ एसजीपीए/ ओजीपीए/ डीजीपीए/ सीपीआई ग्रेड आदि को प्रतिशत में परिवर्तित करने के सूत्र की एक प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की जानी है।

झ. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। ऑनलाइन जमा करने के बाद तैयार किए गए आवेदन का प्रिंटआउट, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों, मार्कशीट, आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव और जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) की विधिवत स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन पत्र में लगाया गया एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्व-हस्ताक्षरित फोटोग्राफ अपने पास रखना होगा तथा कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उसे मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

ञ. एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद उसमें निहित किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ट. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर भरना होगा, क्योंकि पत्राचार केवल ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से ही किया जा सकेगा ।

ठ. किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे उम्मीदवार/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साइबर कानून/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

ड. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। **इस विज्ञापन से संबंधित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतित जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.csir.res.in पर जाएँ। इस विज्ञापन से संबंधित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतित जानकारी से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी/सूचना उम्मीदवारों को अलग से नहीं भेजी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सीएसआईआर की वेबसाइट देखते रहें।**

ढ. उम्मीदवार यह स्पष्ट करें कि क्या उनका कोई रक्त/निकट संबंधी (सरकारी कर्मचारी से संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन अथवा उनमें से किसी से रक्त या विवाह से संबंधित कोई व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों अथवा नहीं) सीएसआईआर मुख्यालय अथवा सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान में कार्यरत है।

ण. **उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र की कागज़ी प्रति/हार्ड कॉपी [प्रिंट-आउट] के साथ निम्नांकित दस्तावेज तैयार रखने होंगे और कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे:**

- फॉर्म पर चिपकाया गया रंगीन फोटो तथा उस पर पूर्ण हस्ताक्षर किए गए हों।
- जन्मतिथि दर्शाने वाले 10वीं/12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोप्रति।
- शैक्षणिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोप्रति।
- एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोप्रति, यदि लागू हो।
- अनुभव प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोप्रतियां, जब भी अपेक्षित हों।

त. ऑनलाइन माध्यम से विवरण प्रस्तुत करने में किसी भी विसंगति के लिए सीएसआईआर जिम्मेदार नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को अनुदेशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विवरण को अंतिम माना जाएगा और आवेदन की आगे की प्रक्रिया केवल इन विवरणों के आधार पर होगी। विज्ञापन में दिए गए अनुदेशों को अच्छी तरह से पढ़े बिना किसी भी तरह के पत्राचार के माध्यम से किए गए लापरवाह प्रतिनिधित्व/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

थ. ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित वैधीकरण नियम और डिजाइन विज्ञापन की आवश्यकताओं पर आधारित हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और आवेदन पोर्टल पर "इंस्ट्रक्शन्स" पृष्ठ देखें। ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार ने विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा किया है। आवेदन बाद में जांच के अधीन है और किसी भी समय अयोग्य पाए जाने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

द. पद पर नियुक्ति अनंतिम होगी तथा अर्हता एवं अनुभव आदि के सत्यापन के अधीन होगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है, तो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी अग्रिम कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा बिना कोई और कारण बताए उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी।

ध. हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

किसी भी अंतरिम जांच या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा

हस्ताक्षरित/-
उप सचिव (भर्ती एवं मूल्यांकन)